झारखण्ड सरकार

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

(आपूर्ति शाखा)

आदेश

अतिअल्पकालीन निविदा सूचना

पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री दाल–भात केन्द्रों के भोजन में पौष्टिकता के लिए सरकार द्वारा केन्द्रों में चना एवं सोयाबीन बड़ी मुफ्त में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। जिले में कुल 21 (एक्कीस) मुख्यमंत्री दाल–भात केन्द्र संचालित हैं। जिला अन्तर्गत कुल 4600 व्यक्तियों के लिए दाल भात योजना अन्तर्गत नगर पंचायत के अधीन पड़ने वाले प्रति केन्द्र को प्रति दिन 60 किलो चावल/3.5 किला ग्राम चना/सोयाबीन बड़ी तथा ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक प्रखण्ड केन्द्र को प्रति दिन 40 किलो चावल/2.5 किला ग्राम चना/सोयबीन बड़ी आपूर्ति केन्द्र संचालकों को की जायेगी। इन केन्द्रों में चावल, चना व सोयबीन बड़ी की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी शर्त एवं नियम पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के वेबसाईट www.chaibasa.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

क्रमांक	केन्द्रों में स्वीकृत लाभुकों की संख्या	केन्द्रों की संख्या	चावल की मात्रा क्वींटल में प्रति केन्द्र (प्रति माह)	चना की मात्रा किलो में प्रति केन्द्र (प्रति माह)	सोयाबीन की मात्रा किलो में प्रति केन्द्र (प्रति माह)
1	300	4	18.00	63.00	42.00
2	200	17	12.00	45.00	30.00

यह निविदा दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक के लिए ही मान्य होगा। जिलान्तर्गत सभी प्रखण्ड के केन्द्रों के चना एवं सोयाबीन बड़ी उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है :–

1. अति अल्पकालीन निविदा दिनांक 13.03 के 3.00 बजे अपराह्न तक जिला आपूर्ति कार्यालय में जमा किया जायेगा।
2. पणन सचिव कृषि उत्पादन बाजार समिति चाईबासा के पत्रांक 125 दिनांक 27.02.2020 के प्रतिवेदन के अनुसार चावल का न्यूनतम औसत दर 26.00 रूपये प्रति किलो एवं चना का न्यूनतम औसत दर 55.00 रूपये प्रति किलो तथा सोयाबीन का न्यूनतम औसत दर 65.00 रूपये प्रति किलो है।
3. चावल, चना एवं सोयाबीन का नमूना टेक्निकल बीड वाले लिफाफा के अन्दर देना आवश्यक है।
4. निविदा दिनांक 13.03.20 को अपराह्न 4.00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में दर निर्धारण समिति के समक्ष खोला जायेगा।
5. निविदा के साथ आपूर्तिकर्ता के अध्यतन आयकर रिटर्न/ झारखण्ड बिक्रीकर विभाग की अनुज्ञप्ति की अभिप्रमाणित छायाप्रति को संलग्न करेंगे।
6. निविदादाता प्रखण्डवार दाल–भात केन्द्र से संबंधित जानकारी जिला आपूर्ति कार्यालय या संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालय से प्राप्त कर लेगें।
7. अतिअल्पकालीन निविदा के साथ अग्रधन राशि के रूप में **70,000.00 (सत्तर हजार)** रूपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा, जो **"उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा"** के पक्ष में देय तथा भारतीय स्टेट बैंक, चाईबासा में भुगतेय होगा। निविदा में सफल संवेदक को सूचारू रूप से कार्य संपादन करने पर अग्रधन राशि वापस की जाएगी। असफल संवेदक को अग्रधन राशि निविदा खोलने की तिथि को वापस की जायेगी।
8. निविदा में आपूरित सामग्रियों का दर सभी कर सहित अंकित करना होगा।

9. आपूर्तिकर्त्ता को उनके विपत्र का भुगतान आवंटन उपलब्ध रहने पर ही की जायेगी। इसके लिये विलम्ब हो जाने पर आपूर्तिकर्त्ता किसी तरह का हर्जाना या भरपाई का दावा नहीं करेंगे।
10. आपूर्ति आदेश प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर सामग्री आपूर्ति करना होगा।
11. आपूर्तिकर्ता का आपूर्ति सामग्री की गुणवता के लिए बैंक गारण्टी मनी **4,00,000.00(चार लाख)** की होगी, जो सफल उम्मीदवार को एकरारनामा करना होगा।
12. आपूर्तिकर्ता को इस आशय का शपत्र–पत्र तकनीकी बीड में मूल रूप में निविदा के साथ संलग्न करना होगा कि झारखण्ड सरकार के किसी भी विभाग के द्वारा उनकी संस्था/प्रतिष्ठान को काली सूची में नही डाला गया है।
13. आपूर्तिकर्ता द्वारा दी गई आपूर्ति में निम्न गुणवत्तायुक्त सामानों की आपूर्ति होने पर संबंधित आपूर्तिकर्ता को दोषी मानते हुए समानुपातिक रूप के परफोर्मेंस से गांरटी राशि से कटौती कर ली जाएगी।
14. अद्योहस्ताक्षरी को किसी भी समय उपरोक्त नियमों, निविदा की प्रकिया को संशोधित करने अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
15. वित्तीय बीड एवं टेक्नीकल बीड अलग–अलग लिफाफा में देना होगा। टेक्नीकल बीड योग्य पाए जाने पर ही वित्तीय बीड वाले लिफाफे को खोला जायेगा। दोनो लिफाफा को एक अन्य लिफाफा में देना होगा, जो सील बन्द रहेगा तथा आपूर्ति कर्त्ता का नाम स्पष्ट लिखा होगा।
16. न्यूनतम निविदादाता/निविदादाताओं को स्वीकृति प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी अथवा अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के साथ एकरारनामा करना होगा।
17. बिना कारण बताये अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
18. तकनीकि एवं वितीय बीड का प्रपत्र जिला आपूर्ति कार्यालय से कार्य अवधि में दिनांक 03.03.20 से 12.03.20 तक प्राप्त किया जा सकता है।

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

(आपूर्ति शाखा)

वित्तीय भाग हेतु आवेदन का प्रपत्र

निविदाता का नाम :–

दुरभाष संख्या :–

E-Mail ID :–

क्र0	आपूर्ति की सामग्री	दर
1	चावल	
2	चना	
3	सोयाबीन	

1. इस हेतु केन्द्र के संचालिकाओं से कोई राशि नहीं लुँगा, किसी भी प्रकार का अनियमितता पाए जाने पर दण्ड़ का भागी बनुँगा।
2. मैं झारखण्ड बिक्रीकर अधिनियम के सभी प्रसंगिक नियमों का पालन करूँगा। बिड में सभी दायित्व टैक्स अथवा भुगतान संग्लन है।

निविदादाता का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

(आपूर्ति शाखा)

तकनीकी निविदा का आवेदन पत्र

Photo

1. निविदाताओं का नाम : ....
2. पिता का नाम : ....
3. स्थायी पता : ....

....

4. पश्चिमी सिंहभूम जिला का आवासीय पताः ....

....

....

5. दूरभाष संख्या : ....
6. E-Mail ID : ....
7. संलग्न बैंक ड्राफ्ट की संख्या : ....
8. अद्यतन आयकर रिर्टन प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं : ....
9. बिक्री कर अनुज्ञप्ति पत्र संलग्न है अथवा नहीं : ....
10. शपथ पत्र संलग्न है अथवा नहीं : ....

आवेदक का हस्ताक्षर